शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

इन्दौर शहर के निम्न आय वर्ग की आर्थिक निर्भरता में महिला एवं बाल विकास की प्रभावोत्पादकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

*डॉ. पुरुषोत्तम गौतम
**श्रीमती छाया शर्मा
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य विभाग)
*शास. कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
शोधार्थी (वाणिज्य विषय)
**देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

किसी भी राष्ट्र की उन्नति, उसमें निवास करने वाले नागरिकों के जीवन-यापन स्तर और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति से सापेक्ष सम्बन्ध रखती है। आजादी के बाद भारत में बढ़ती बालकुपोषण, जननी-मृत्युद्र, स्वास्थ्य आवश्यकताओं व शिक्षा की कमी को देखते हुए वर्ष1974-75 में 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्तर्गत समस्त देश में 'आंगनवाड़ी केन्द्रों' की स्थापना की गई। मुख्यतः आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य निम्न व मध्यम आय वर्ग की बसाहट वाले क्षेत्रों, मलिन बस्तियों, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में जीवन-यापन करने वाले परिवारों को आधारभूत जीवनउपयोगी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे प्रदान करना था। परिणामस्वरूप आज उक्त आंगनवाड़ी केंद्र इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जीवनयापन का अभिन्न अंग बन गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इन्दौर के अन्तर्गत समस्त विकासखण्डों में 15 बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं। कुल स्वीकृत 15 परियोजनाओं में से 07 परियोजनाएं इन्दौर शहरी क्षेत्र में तथा 01 महू शहर (केन्ट) में एवं 07 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र देपालपुर महू इन्दौर ग्रामीण/सावेर में संचालित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्दौर शहर के निम्न आय वर्ग की आर्थिक निर्भरता में महिला एवं बाल विकास की प्रभावोत्पादकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

महिला एवं बाल विकास केन्दों के रूप में 'एकीकृत बाल विकास योजना' (ICDS) भारत में 2 अक्टूबर, वर्ष 1975 को 33 स्थानों पर लागू की गई थी। पिछले कुछ दशकों में इसकी प्रभावशीलता को देखते हुए, भारत सरकार ने कार्यक्रम की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया। वर्षों में यह दुनियाँ में सबसे बड़ी एकीकृत परिवार और सामुदायिक कल्याण योजनाओं में से एक बन गयी। धीरे-धीरे, इसे देश के अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए विस्तारित किया गया। का आयोजन किया जाकर एकत्रित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारी/योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। उक्त षिविरों के

आयोजन पर होने वाले छोटे-मोटे व्यय जैसे- टेन्ट, माईक, फोटोग्राफ, सहभागी महिलाओं के लिए चाय नाश्ता, बैनर आदि के लिये आबंटन प्राप्त होता है।

बाल कल्याण संस्थान

बाल कल्याण के क्षेत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 1. निराश्रित बाल गृह 2.अनाथालय, बाल कल्याण शीर्ष अन्तर्गत अनुदान देने की व्यवस्था है। 1. निराश्रित बाल गृह योजनान्तर्गत प्रतिबालक प्रतिमाह 225/- रूपये अनुदान तथा 2. अनाथालय योजनान्तर्गत 150/- रूपये प्रति बालक प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

महिला कल्याण संस्थाओं को सहायता

योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को महिलाओं के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन के लिये अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। महिला कल्याण के क्षेत्र में 1.पुर्नवास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. सामान्य गतिविधि 3. महिला कानूनी सहायता, कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 90 प्रतिशत के मान से अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्था द्वारा 20-20 विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वर्ष भर में दो छः-छः माही सत्र संचालित किये जाते हैं। सामान्य गतिविधि अन्तर्गत ज्वेलरी/ब्युटी पार्लर/साफ्ट टायज प्रशिक्षण कक्षा के लिये व्यय के 33 प्रतिशत आधार पर अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2010-11 में उक्त योजना अन्तर्गत रूपये 38,40,000/- का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें से राशि रूपये 29,20,000/-व्यय की जाकर संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के लिये रूपये 16 लाख जिला योजना द्वारा अनुमोदित है, जिसमें से राशि रू. 3,90,000/- का व्यय माह सितम्बर 11 में किया गया है तथा आगामी वर्ष 2012-13 के लिए राशि रू.18,00,000/-लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

पोषण आहार योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती/धात्री माताओं तथा 0-6 वर्ष के बालक बालिकाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार सेवा दी जा रही है, जिसके अन्तर्गत सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित व्यंजन अनुसार वितरित किये जा रहे हैं, जिसका लाभ आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बालक/बालिका तथा गर्भवती/धात्री माताओं, कुपोषित बच्चों निःषुल्क प्रदान किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं कुपोषण के स्तर में कमी आ सके। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, जांच/टीकाकरण/स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा/सन्दर्भ सेवा/पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाएं भी उन केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

अ - ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिये केन्द्रांश/राज्यांश से प्राप्त आबंटन रुपये 304.01 लाख के विरूद्ध 300.05 लाख का व्यय किया जा कर 606600 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये रुपये 300.00 का व्यय किया जाना है, जिसमें से माह सितम्बर 2011 तक राशि रुपये 12.58 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2012-13 हेतु राशि रुपये 303.30 राज्यांश का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013-14 हेतु राशि रुपये 524.00 राज्यांश का प्रावधान किया गया है।

ब - नगरीय गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के लिये केन्द्रांश/राज्यांश आबंटन रुपये 545.08 लाख के विरूद्ध 542.79 लाख का व्यय किया जाकर 618300 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये रुपये 220.00 का व्यय किया जाना है। जिसमें से माह सितम्बर 11 तक राशि रुपये 99.45 व्यय की गई जिससे 619000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये रूपये 309.15 (राज्यांश) लाख का प्रावधान रखा गया है।

स आदिम जाति क्षेत्र में पोषण आहार कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में केन्द्रांश/राज्यांश में राशि रुपये 175.02 लाख प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध राशि रुपये 153.18 लाख व्यय किये जाकर 198900 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। चालू वित्तिय वर्ष 2011-12 के लिये रुपये 85.00 का व्यय किया जाना है, जिसमें से माह सितम्बर 11 तक राशि रुपये 4.40 लाख का व्यय किया गया है तथा आगामी वर्ष 2012-13 हेतु राशि रुपये 99.45 लाख के आंबटन की मांग की गई है।

मंगल दिवस योजना

यह योजना शासन द्वारा वर्ष 2007-08 में आंगनवाडी केन्द्रों के हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु प्रति माह प्रति आंगनवाडी केन्द्र की राशि रुपये 200/- निर्धारित की है, जो आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के बैक खाते में जमा कर मंगल दिवस आयोजन पर व्यय किया जाता है। जिसमें वर्ष 2010-11 में राशि रुपये 37.96 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध राशि रुपये 35.91 लाख व्यय की जाकर माह मार्च 2011 अंत तक 117000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना में प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित किये जाते है, जिसमें प्रथम मंगलवार को गोदभराई, द्वितीय मंगलवार को जन्मदिवस, तृतीय मंगलवार को अन्नप्राशन एवं चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में परियोजनावार कुल राशि रुपये 37.97 का प्रावधान है द्वितीय त्रैमास में माह सितम्बर 2011 तक राशि रुपये 18.99 का व्यय हुआ है तथा आगामी वर्ष 2012-13 में उक्त योजनान्तर्गत 37.97 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

साहित्य सर्वेक्षण

कुलर-सबरजीत सिंह (2015) ने पंजाब राज्य के बरनाला जिलें में आय.सी.डी.एस. के स्वास्थ्य व शिक्षा सम्बन्धी कार्यों का अध्ययन किया। जिसमें दो योजनाओं - 'महिला-कालन योजना' व 'सेहना योजना' के अन्तर्गत 10-10 आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया, जिसमें 200 बच्चों का चयन भी शामिल था। इसमें पाया गया कि उपरोक्त में से सिर्फ 45 प्रतिशत बच्चों का ही आंगनवाड़ी केन्द्रों में दाखिला था, जबकि अन्य 55 प्रतिशत में से सिर्फ 10 प्रतिशत ही चित्रों को समझना व 20 प्रतिशत बच्चे रंगों की पहचान कर पाए।

कुमार एस. (2008) ने अपने शोध में पाया कि सरकारी विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु राशि प्रदान किये जाने के बाद भी लगभग आधे मामलों (51.7 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत भवन में, 27 प्रतिशत केंद्र विद्यालय परिसर में तथा कुछ मामलों में घरों में ही आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा था। अतः स्पष्ट रूप से यह तथ्य सामने आता है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु पृथक स्थान

निर्धारित करने व भौतिक संरचना को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। साथ ही शोध में प्राप्त हुआ कि केवल 51.7 प्रतिशत केन्द्रों में ही आई.सी.डी.एस. सेवाओं के संचालन के लिए उचित स्थान उपलब्ध था, 35.6 प्रतिशत केन्द्रों में पर्याप्त रोशनी नहीं थी, 35.7 प्रतिशत केन्द्रों में बच्चों के खेलने के लिए उचित स्थान नहीं था। केवल 39 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था व 69 प्रतिशत केन्द्रों पर शौचालय की व्यवस्था थी। आर्थिक और सांख्यिकीक संगठन (2004) द्वारा हरियाणा में आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 48 आंगनवाड़ी केन्द्रों और 576 हितग्राहियों का चयन उत्तदाताओं के रूप में किया गया, जिसमें पाया गया कि 1999-2000 वर्ष की अपेक्षा 2001-02 वर्ष में शिशुवती माताओं और धात्री माताओं ने पूरक-पोषण आहार सुविधा का लाभ कम उठाया, जबकि बच्चों के लिए प्रतिरक्षण/टीकाकरण कार्यक्रम का लाभ 100 प्रतिशत हितग्राहियों ने लिया।

शोध का चयन

प्रस्तुत शोध के चयन के विषय में सर्वप्रथम शोधार्थी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भारत सरकार द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास केन्द्रों के अन्तर्गत जो सेवाएं और सुविधाएं समुदायों को प्रदान की जाती हैं, उनका प्रभाव निम्न आय स्तर के अन्तर्गत जीवन-यापन करने वाले लोगों पर कितना पड़ता है ? एवं उस प्रभाव का विष्लेषण कर, इन महिला एवं बाल विकास केन्द्रों को प्रस्तुत शोध के माध्यम से और उन्नत बनाया जा सके व निम्न आय वर्ग को महिला एवं बाल विकास केन्द्रों की सुविधाओं के फलस्वरूप प्राप्त लाभों से अवगत किया जा सके। इस वैश्वीकरण के युग में भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग का उत्थान करना होता है।

सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि क्या सरकार द्वारा स्वीकृत बजट राशि को पूर्ण रूप से हितग्राहियों तक पहुंचाया जाता है या हितग्राही उससे वंचित रह जाते हैं ? इन सभी तथ्यों को जांचने के लिये शोध विषय का चयन किया गया जिससे कि इस दिशा में समुदायों को एक मार्गदर्शन दिया जा सके।

शोध का उद्देश्य

1. महिला एवं बाल विकास केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य व आर्थिक सेवाओं के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन कर उन्हें और अधिक बेहतर बनाने हेतु आवश्यक उपाय व सुझाव देना है।
2. जिस वर्ग विशेष के लिये महिला एवं बाल विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, एवं जो स्वास्थ्य सम्बन्धी व सामाजिक सुविधाएं जन-सामान्य को प्रदान की जा रही हैं, उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी तक इन सुविधाओं से अवगत नहीं है।

द्वितीयक समंकों का संकलन विभिन्न शासकीय पुस्तकों पूर्व शोध पत्रपत्रिकाओं शासकीय प्रतिवेदनों तथा शासकीय विभागों की websites के माध्यम से किया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनसे साक्षात्कार रूप में भी समंको एवं तथ्यों का संकलन किया गया है।

शोध की सम्भाव्य लाभदेयता

इस वर्तमान शोध की अपनी संभावनाएं है, परन्तु अन्य शोधार्थियों के लिए इस शोध की सीमा निश्चित की गई है।

दिन-प्रतिदिन शिक्षा का स्तर बढ़ने से जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। अतः समयसमय पर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रत्येक स्तर पर आंकड़े परिवर्तित होते रहेंगें, जिनका पुनः विश्लेषण भविष्य में किया जा सकता है तथा इस शोध के निष्कर्ष का लाभ लेते हुए कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण से केन्द्रों की सुविधाओं और सेवाओं में सकारात्मक सुधार किये जाएँ एवं हितग्राहियों के दृष्टिकोण से वे इन सुविधाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें तथा अपनी आर्थिक बचतों को बढ़ा सकें, परिणामस्वरूप इस शोध का लाभ समाज को भी मिल सकेगा।

इस शोध की अपनी सीमा के कारण जिन तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला जा सका है, उन तथ्यों को अन्य शोधार्थी पूरा कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध में इंदौर शहर का अध्ययन किया गया है अतः भविष्य में शोधार्थी जिला स्तर अथवा प्रदेश स्तर पर अपना शोध कार्य सम्पन्न कर सकते हैं।

तालिका 1.1 महिला एवं बाल विकास-जिला योजना अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय की राशि का सारांश

रुपये लाख में

क्रं.	योजना का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		कुल बजट	कुल खर्च	कुल बजट	कुल खर्च	कुल बजट	कुल खर्च	कुल बजट	कुल खर्च
1	जागृति शिविर	1.75	3.49	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00
2	बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान	15.00	29.20	6.40	6.23	18.00	18.00	36.15	36.15
3	जाबालि योंजना (वैश्यावृत्ति उन्मुलन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम	297.00	300.05	483.00	482.25	711.90	711.90	690.00	690.00
5	आदिवासी क्षेत्रों में विकास	75.00	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6	अनुसुचित जाति की नगरीय गंदी बस्ती क्षेत्रों में	220.00	542.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
7	अति निर्धन गर्भवती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
8	मंगल दिवय	37.97	35.90	18.80	18.80	37.97	37.97	37.97	37.97
	योग	646.72	1064.61	508.20	507.28	771.22	771.22	764.12	764.12

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन, विकेन्द्रित जिला वार्षिक योजना, इंदौर

शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2017
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

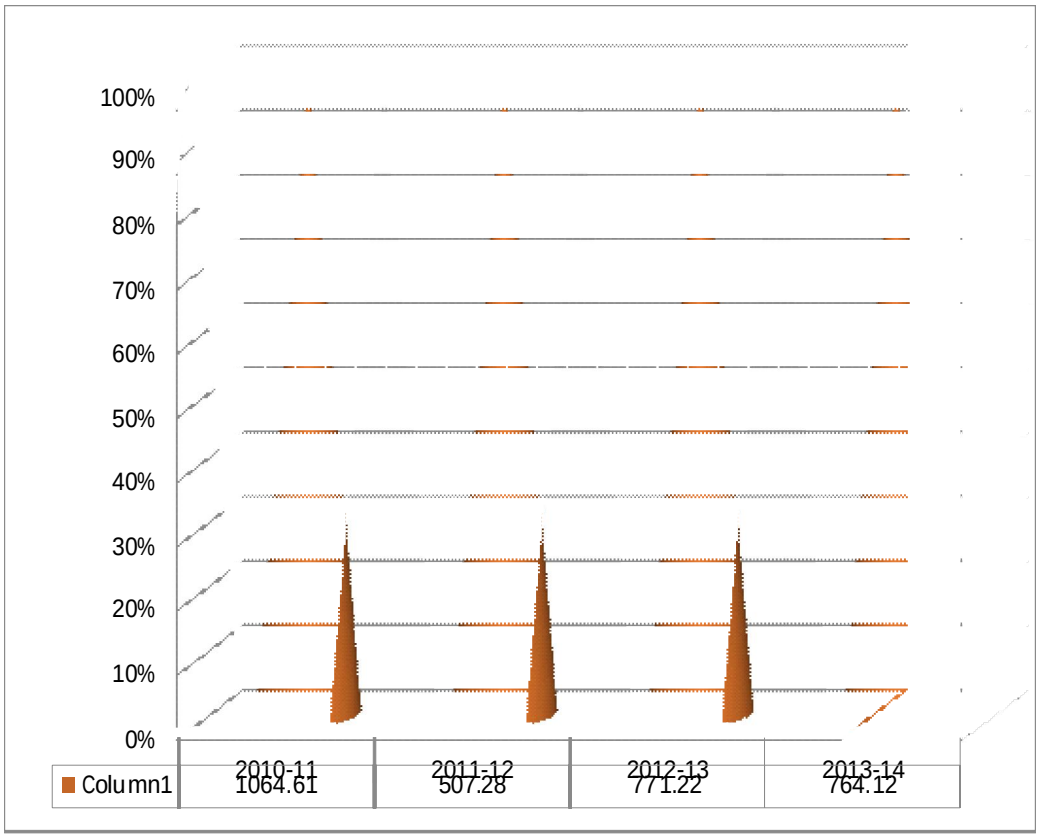

1.1 महिला एवं बाल विकास व्यय की स्थिति

तालिका क्रं. 1.1 में विकेन्द्रीकृत योजना, इन्दौर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास योजना के अंतर्गत 8 योजनाएँ संचालित हैं, जिसमें से 2 योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जागृति शिविर योजना में वर्ष 2010-11 में कुल बजट 1.75 लाख रूपये था जबकि कुल खर्च 3.49 लाख रूपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 में कुल बजट शून्य रूपये था एवं कुल खर्च भी शून्य रुपये था। वर्ष 2012-13 में कुल बजट 3.35 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 3.35 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2013-14 में कुल बजट शून्य रुपये था एवं कुल बजट शून्य रुपये हुआ। बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कुल बजट 15.00 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 29.20 लाख रूपये हुआ। वर्ष 2011-12 में कुल बजट 6.40 लाख रुपये था जबकि कुल खर्च 29.20 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2012-13 में कुल बजट 18.00 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 18.00 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2013-14 में कुल खर्च 36.15 लाख रुपये हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कुल बजट 297.00 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 300.05 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च में वृद्धि हुई है। वर्ष2011-12 में कुल खर्च 483.00 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 482.25 लाख रूपये हुआ वर्ष 2012-13 में कुल खर्च में कमी आई है।

अनुसूचित जाति की नगरीय गन्दी बस्ती क्षेत्रों में, योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कुल बजट 220.00 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 542.79 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कुल बजट शून्य था एवं कुल खर्च भी शून्य था। वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए कोई प्रावधान नही है। मंगल दिवस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में कुल बजट 37.97 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 35.90 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च 35.90 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2010-11 में कुल खर्च में कमी आई है। वर्ष 2011-12 में कुल बजट 18.80 लाख रूपये था जबकि कुल खर्च 18.80 लाख रुपये था, जबकि कुल खर्च 18.80 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2012-13 में कुल बजट 37.97 लाख रुपये था,. जबकि कुल खर्च 37.97 लाख रुपये हुआ। वर्ष 2013-14 में कुल खर्च 37.97 लाख रुपये हुआ।

उद्देश्य की प्राप्ति

प्रारम्भ में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह शोध कार्य आरंभ किया गया था, वे उद्देश्य इस शोध कार्य की पूर्णता के फलस्वरूप सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं जिनमें-

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य व आर्थिक सेवाओं के प्रत्य व अप्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन कर उन्हें और अधिक बेहतर बनाने हेतु आवश्यक उपाय व सुझाव देना है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के परिणामस्वरूप महिला एवं बाल विकास केन्द्रों से प्रदान की जा रही सेवाओं को प्राप्त कर लाभार्थी अपने स्वास्थ और शिक्षा के साथ-साथ अपने आर्थिक और सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन का अनुभव करते है। साथ ही केन्द्रों से प्राप्त निःशुल्क सुविधाओं के उपयोग से लाभार्थियों की आर्थिक बचतें अपेक्षाकृत सकारात्मक दिशा में प्रभावित हुई हैं।

2. जिस वर्ग विशेष के लिये महिला एवं बाल विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है एवं जो स्वास्थ्य सम्बन्धी व सामाजिक सुविधाएं जन-सामान्य को प्रदान की जा रही है, उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो अभी तक इन सुविधाओं से अवगत नहीं है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के परिणामस्वरूप शोध कार्य के अन्तर्गत जब क्षेत्र विशेष की महिला एवं बाल विकास केन्द्रों में जा कर हितग्राहियों से प्रश्नावली सम्बन्धित प्रश्न पूछे गए तो उन प्रश्नों से कई ऐसे तथ्य लाभार्थियों को ज्ञात हुए जिनके विषय में उन्हें जानकारी नहीं थी। साथ ही आर्थिक बचतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लाभार्थी अधिक संतुष्ट हुए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि शोध कार्य में अपने उद्देश्यों और परिकल्पनाओं की प्राप्ति के परिणामस्वरूप यह पाया गया कि आज महिला एवं बाल विकास केंद्र निम्न आय वर्ग की आर्थिक बचतों के साथ-साथ उनके आर्थिक परिवेश व सामाजिक परिवेश पर भी सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं। महिलाएं अपनी व परिवार की विभिन्न स्वास्थ्य व पोषण समस्याओं के विषय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से वार्तालाप कर परामर्श ले पाती हैं। साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं की प्राप्ति से परिवारों को अपने बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं के स्वास्थ हेतु अतिआवश्यक परामर्श व टीकों की प्राप्ति, केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क हो जाने से उन परिवारों को निजी

अस्पतालों में यह सेवाएं नहीं लेना पड़ती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त 'महिला स्वयं सहायता समूहों' का निर्माण कर महिलाएं आपस में एकीकृत हो कर कार्य करते हुए महिला एवं बाल विकास केन्द्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकती हैं। साथ ही पाया गया कि केन्द्रों से प्रदान की जा रही अन्य सेवाओं (सबला योजना, किशोरी शक्ति योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, अटल बाल योजना, उदिता योजना आदि) का पूर्ण लाभ ले कर परिवार अपने जीवनस्तर में आर्थिक प्रभावों व सामाजिक परिवेशों को पूर्ण रूप से प्रभावित पाते हैं। उपर्युक्त सकारात्मक पक्षों के अतिरिक्त शोध अध्ययन के अन्तर्गत कुछ ऐसे तथ्य भी पाए गए जिनमंे केन्द्रांे के सुचारु क्रियान्वयन में कमी, भौतिक संरचना का अभाव, रिकॉर्ड संधारण की अपूर्णता तथा हितग्राहियों को केन्द्रों की सेवाओं का अल्पज्ञान सम्बन्धी तथ्य मुख्य थे, जिनमें परिवर्तन व सुधार की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 Activity Note - 2012-2013, Panchkula: Women and Child Development Department, Government of Haryana, p. 9.

2 Annuradha Bhadoriya,Indore (2010),महिला सशक्तिकरण योजना का प्रभाव एवं योगदान

3 Citizen's Initiative for the Rights of Children under Ssix, NewDelhi.(2006)-Focus on Children Under Six.New Delhi.

4 Department of Women and Child Development, "Role and Responsibilities of an Anganwadi Worker", Government of Haryana, 11 March 2013, http://wcdhry.govin/job_responsibility.htm

5 Department of Women and Child Development, "Role and Responsibilities of a Supervisor," Government of Haryana, 11 March 2013, http://wcdhry.govin/job_responsibility.htm.

6 Economic and Statistical Organization, (2004)

7 Evaluation Report on Integrated Child Development Services, Programme Evaluation Organization, Planning Commission, New Delhi, p-18

8 Gangur S.G. (2007), Analysis of Role Effectiveness of ICDS Sduperviserors of Gujrat.

9 Gopal A.K. (2006), New Delhi;National Institute of Public Cooperation and Child Devlopment-Three Decades of ICDS:An Appraisal..

10 Kular Sarbjit Singh (2015), Evaluation of Pre-school Education Program of ICDS Scheme in Barnula District of Punjab.

11 Ministry of Women and Child Development, Implementation of ICDS Scheme, Press Information Bureau Government of India, Krishna Ram Tirath, 15 March 2013, 17 March 2013. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx.

12 Sunil Sahu & Nalini N. (2014), collaboration of Intigrated Child Devlopment Services with self help groups to Decentralize the supply of supplymentary feeding at aganwadi Ceners.

13 Women Empowerment and Inclusion", UNDP in India, 12 March 2015,

14http://www.in.undp.org/content/india/en/home/ourwork/womenempowerment/overview.htm